रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99

REGD No D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 253] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 9, 2000/कार्तिक 18, 1922

No. 253] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 9, 2000/KARTIKA 18, 1922

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क निदेशालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2000

विषयः **जापान,यू.एस.ए, ताइवान,टर्की तथा कोरिया गणराज्य से स्टिरीन बुटाडिन रबड़(एस.बी.आर.) के आयातों के संबद्ध में पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा।**

सं. 34/1/2000-डीजीएडी.– घरेलू उद्योग की ओर से मैसर्स सिंथेटिक्स एंड कैमिकल्स लि., मुंबई द्वारा दायर की गई याचिका के अनुसरण में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम,1995 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली,1995 के तहत जापान यू.एस.ए., ताइवान,टर्की तथा कोरिया गणराज्य (जिन्हें एतद् पश्चात संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एस.बी.आर. (जिसे इसके बाद संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के पाटन के मामले में दि. 2.6.1999 की अधिसूचना सं. 30/1/97-एडीडी के द्वारा अंतिम निष्कर्षों को अधिसूचित किया था। इन अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के सीमाशुल्क उप-शीर्ष सं. 4002.19 के अंतर्गत आने वाले 1500,1700 तथा 1900 की श्रृखला में एस बी आर के भिन्न-भिन्न ग्रेडों पर अंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने के बारे में दि. 24.8.1999 की अधिसूचना सं. 107/99- सीमाशुल्क जारी की थी।

2. दी ऑटोमोटिव टायॅर मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (ए टी एम ए) और मै. ऋषि रूप पोलिमर्स प्रा.लि., मुंबई ने सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 के नियम 23 के तहत और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दि. 21.4.99 को जारी किए गए व्यापार नोटिस सं.1/99 के अनुसार भी एस बी आर के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने का अनुरोध किया ।

3. आटोमोटिव टायर मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (ए टी एम ए) ने संबद्ध वस्तु के आयातक के रूप में अपनी हैसियत से इस आधार पर संबद्ध वस्तु पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने का अनुरोध किया है कि भारत में संबंधित उत्पाद का केवल एक विनिर्माता अर्थात् मै. सिंथेटिक एंड कैमिकल्स लि. बरेली, उत्तर प्रदेश है और इस कंपनी ने जुलाई,1999 से उत्पादन करना पूर्णतया बंद कर दिया है । भारत में एस बी आर के एक मात्र विनिर्माता द्वारा उत्पादन को बंद कर दिए जाने से जहां तक पाटनरोधी शुल्क के माध्यम से घरेलू उद्योग को हुई क्षति की भरपाई करने का संबंध है, कोई घरेलू उद्योग नहीं है । इन परिस्थितियों में केवल उपभोक्ता उद्योगों पर ही पाटनरोधी शुल्क जारी रख कर वित्तीय बोझ डाला जाता है ।

4. ऋषि रूप पोलिमर्स प्रा. लि. ने संबद्ध वस्तु के आयातक के रूप में अपनी खुद की हैसियत से और मैसर्स कोरिया कुम्हो पेट्रो कैमिकल्स कं. लि. (संबद्ध वस्तु का निर्यातक) के पंजीकृत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में अत्यधिक बदली हुई इन परिस्थितियों में एस बी आर पर पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा शुरू करने का अनुरोध किया है जिनमे घरेलू उद्योग अर्थात् मै. सिंथेटिक एंड कैमिकल्स लि. जो 1502 तथा 1712 ग्रेडों के लिए भारत में एस बी आर का एक मात्र उत्पादक है, एक वर्ष से अपना प्रचालन नहीं कर रहा है और इसका कोई घरेलू उत्पादन नहीं हो रहा है ।

5. घरेलू उद्योग, मै0 सिन्थैटिक्स एंड कैमिकल्स लि0 ने अपने अनुरोध में जुलाई, 1999 से अपना उत्पादन बंद करने से इंकार नहीं किया है ।

6. बदली हुई परिस्थितियों के बारे में उपलब्ध प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी, सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियम,1995 के नियम 23 के अंतर्गत दिनांक 2.6.1999 की अधिसूचना सं0 30.1.97-एडीडी द्वारा अधिसूचित अन्तिम निष्कर्षों के अनुसरण में सम्बद्ध वस्तु पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा शुरु करते हैं ।

7. **<u>विचाराधीन उत्पादः</u>** वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद सम्बद्ध देशों के मूल का अथवा वहां से निर्यातित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के सीमाशुल्क उप-शीर्ष सं0 4002.19 के अंतर्गत वर्गीकृत 1500, 1700 और 1900 की श्रृंखला का स्टिरीन बुटाडिन रबड़ (एसबीआर) है । तथापि, यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के क्षेत्र पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है ।

8. **जांच की अवधि:** वर्तमान समीक्षा के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 जुलाई, 1999 से 30 जून, 2000 तक की है ।

9. ज्ञात निर्यातकों और आयातकों तथा घरेलू उद्योग को अलग से लिखा जा रहा है ताकि संबंधित सूचना निर्धारित प्रपत्र में तथा निर्धारित ढंग से प्राप्त की जा सके । अन्य हितबद्ध पार्टियों को सलाह दी जाती है कि वे जांच से संबंधित अपने अनुरोध, निर्धारित प्रपत्र में तथा निर्धारित ढंग से निम्नलिखित को भेजें: -

श्री एल.वी. सप्तऋषि
निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अपर सचिव
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन,
नई दिल्ली-110011

10. **समय-सीमा:** वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रुप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर पंहुच जानी चाहिए । तथापि, जिंन ज्ञान निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी। निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी भी हालत में हितबद्ध पार्टियों को अपने प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय बढ़ाने की अनुमति नहीं देंगे ।

11. नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी निर्धारित समय-सीमा के समाप्त होने के बाद उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किऐ गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं ।

12. यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है या महत्वपूर्ण ढंग से जांच में बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकता है ।

एल. वी.सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

DIRECTORATE OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2000

Subject : Review of anti-dumping duty concerning imports of Styrene Butadiene Rubber(SBR) from Japan, USA,Taiwan,Turkey and Korea RP.

...

No. 34/1/2000-DGAD.— **In pursuance of a petition filed by M/s Synthetics and Chemicals Ltd. , Mumbai, on behalf of the domestic industry, the Designated Authority under the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and Customs Tariff(Identification, Assessment and collection of Anti-Dumping Duty on dumped articles and determination of injury) Rules,1995, notified Final Findings vide Notification No. 30/1/97-ADD dtd. 2.6.1999 in the matter of dumping of SBR(herein after also referred to as the subject goods) orginating in or exported from Japan, USA, Taiwan, Turkey and Korea RP *(herein after also called the subject countries). Pursuant to these* Final Findings, Ministry of Finance(Department of Revenue), vide their Notification No. 107/99-Customs dtd. 24.8.1999, notified the imposition of Final anti dumping duty on SBR of different grades in 1500,1700 and 1900 series falling under Customs Sub-heading No. 4002.19 of the Customs Tariff Act, originating in or exported from the subject countries.**

2. The Automotive Tyre Manufacturers Association(ATMA) and M/s Rishiroop Polymers Pvt. Ltd., Mumbai requested for review of anti-dumping duty imposed on import of SBR under Rule 23 of the Customs Tariff(Identification, Assessment and collection of Anti-Dumping Duty on dumped articles and determination of injury) Rules,1995 and in accordance with the Trade Notice No. 1/99 dtd. 21.4.99 issued by the Ministry of Commerce

3. ATMA in their capacity as importer of the subject goods has requested for review of the anti dumping duty imposed on the subject goods on the ground that there is only one manufacturer in India of the product concerned, i.e., M/s Synthetic & Chemicals Limited, Bareilly, UP and this company has stopped production completely from July 1999. With the stoppage of production by the sole SBR manufacturer in India, there is no

domestic industry in as much as remedy to domestic industry through Anti-dumping Duty is concerned. Under the circumstances, only the user industries are financially burdened by the continuation of Anti-dumping Duty.

4. Rishiroop Polymers Pvt. Ltd., in their own capacity as an importer of the subject goods and on behalf of M/s Korea Kumho Petrochemicals Company Ltd. (the exporter of the subject goods) as their registered authorised representative, have requested for initiation of review of the Anti Dumping duty on SBR in the critical changed circumstances in which the domestic industry, i.e. M/s Synthetics and Chemicals Ltd., constituting the sole producer of SBR in India for 1502 and 1712 grades has not been in operation for over a year and there is no domestic production of the same.

5. The domestic industry, M/s Synthetics and Chemicals Ltd., in their submission, have not denied the stoppage of their production since July, 1999.

6. On the basis of prima-facie evidence of the changed circumstances available, the Designated Authority, under the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and under Rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on dumped articles and for determination of injury) Rules, 1995, initiates review of the anti dumping duty imposed on the subject goods pursuant to the Final Findings notified vide Notification No. 30/1/97-ADD dtd. 2.6.1999.

7. <u>Product under consideration :</u> Product under consideration in the present case is Styrene Butadiene Rubber(SBR) of 1500, 1700 and 1900 series classified under Customs Sub-heading No. 4002.19 of the Customs Tariff Act, originating in or exported from the subject countries. The classification is however only indicative and is not binding on the scope of the present review.

8. <u>Period of investigation :</u> The period of investigation for the purpose of the present review is Ist July,1999 to 30th June, 2000.

9. Known exporters and importers and the domestic industry are being addressed separately so as to obtain relevant information in the form and manner prescribed. Other interested parties are advised to make their submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner to :

Sh. L.V. Saptarishi,
Designated Authority & Additional Secretary
Ministry of Commerce and Industry
Deptt. of Commerce,
Udyog Bhavan,
New Delhi-110011

10. Time Limit : Any information relating to present investigation should be sent in writing so as to reach the authority at the address mentioned above not later than 40 days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers who are being addressed separately are however, required to submit the information within 40 days from the date of letter addressed to them separately. The Designated Authority, in no circumstances, will grant to the interested parties extension of time for their response.

11. In terms of Rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties after expiry of time limit set out.

12. In case any interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary information within the stipulated period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

L. V. SAPTARISHI, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.